**ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और अशोक कुमार वर्मा, जे. जे. के समक्ष,**

**रवि प्रकाश गुप्ता, आई. ए. एस.-याचिकाकर्ता**

बनाम 2020 के

भारत का संघ अन्य एस का संघ -- प्रतिवादी

2020 का सी. डब्ल्यू. पी. No.7857 (ओ. एंड एम.)

5 फरवरी, 2021

**भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954-आरएल। 7-उपायुक्त के पद से निदेशक के पद पर स्थानांतरण का आदेश-आयोजित-हस्तांतरण भेदभावपूर्ण या वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं है-एक सरकारी कर्मचारी को अपनी पसंद के किसी विशेष स्थान पर तैनात रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है-उक्त शक्ति प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार और जनहित में नियोक्ता में निहित है-याचिका खारिज कर दी गई।**

यह नहीं कहा जा सकता है कि हरियाणा राज्य द्वारा पारित स्थानांतरण का विवादित आदेश या तो दुर्भावनापूर्ण है या भेदभावपूर्ण है या सेवा को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन है। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि स्थानांतरण सेवा की घटना है और किसी भी

सरकारी कर्मचारी को अपनी पसंद के स्थान पर तैनात रहने का निहित अधिकार नहीं है और न ही कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति के स्थान के संबंध में शर्तें निर्धारित कर सकता है।उक्त शक्ति नियोक्ता में निहित है, जिसे लोक हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार उक्त शक्तियों का प्रयोग करना है, जब तक कि इसमें कैरियर या आगे की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(पैरा 27)

रवि प्रकाश गुप्ता
याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

सत्यपाल जैन, अधिवक्ता रजनीश शेली के साथ भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

बी. आर. महाजन, ए. जी., हरियाणा अंकुर मित्तल, ए. ए. जी., हरियाणा के साथ।

**2020 की ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे. सीएम No.6914**

(1) इस आवेदन में प्रार्थना याचिकाकर्ता की लिखित दलीलों को रिकॉर्ड में रखने के लिए है।

(2) आवेदन की अनुमति केवल अपवादों के साथ दी जाती है।लिखित तर्कों को रिकॉर्ड में लिया जाता है।

(3) इस अपील में चुनौती केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (इसके बाद 'कैट' के रूप में संदर्भित) द्वारा OA No.060/00302/2020 में पारित दिनांक 03.06.2020 के आदेश को दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन में भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 (इसके बाद '1954 संवर्ग नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 7 के भेदभाव और उल्लंघन के आधार पर उपायुक्त, फतेहाबाद के पीठ से स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के निदेशक के पीठ पर दिनांकित 18.05.2020 (अनुलग्नक P-5) के स्थानांतरण के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसे खारिज कर दिया गया है।

(4) संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, एक आई. ए. एस. अधिकारी, जो 100% दृष्टिबाधित है, को शुरू में छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित किया गया था और विकलांग व्यक्तियों के लिए संवर्ग स्थानांतरण के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उसे अधिसूचना दिनांक 21.10.2015 के माध्यम से हरियाणा संवर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया था।याचिकाकर्ता ने एक आई. ए. एस. अधिकारी के कैरियर की प्रगति को ध्यान में रखते हुए फील्ड पोस्टिंग के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की क्योंकि भारत सरकार के समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, संलग्नक

में सूचीबद्ध पदों में तीन साल या दो साल के संयुक्त क्षेत्र के अनुभव वाला एक आई. ए. एस. अधिकारी, क्रमशः उप सचिव और अवर सचिव के स्तर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र है।चूंकि याचिकाकर्ता के पास संलग्नक में निर्दिष्ट पदों पर अपेक्षित क्षेत्र अनुभव नहीं था, जो कि क्षेत्र पद हैं, इसलिए वह इस तरह की नियुक्ति के लिए प्रतिवादी को अभ्यावेदन दे रहा था।वह इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनके सभी बैच के साथियों ने हरियाणा के उपायुक्त के पदों पर काम किया/संभाला था, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया गया था।(5) उन्हें उपायुक्त के रूप में नियुक्त करने के लिए दिनांक 05.04.2016 के उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, उसे स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता को दिनांक 25.04.2016 के आदेश के अनुसार उपायुक्त, कैथल का पद सौंपा गया। शायद ही 3 महीने पहले ऐसा स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता को मुख्यालय में निदेशक, खाद्य और आपूर्ति, हरियाणा, खाद्य और आपूर्ति विभाग, हरियाणा सरकार के विशेष सचिव और प्रबंध निदेशक, कॉनफेड के रूप में नियुक्त किया गया था, जो आई. ए. एस. (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पढ़े गए नियम 7 (3) का उल्लंघन था, जिसे अधिसूचना दिनांक 13.04.2016 के साथ पढ़ा गया था।पोस्टिंग के बाद के आदेश भी पारित किए गए लेकिन इनमें से कोई भी फील्ड पोस्टिंग नहीं थी।

(6) याचिकाकर्ता ने अंततः कैट, चंडीगढ़ बेंच में 2017 का ओए No.60/1289 दाखिल करके प्रतिवादी द्वारा पारित दिनांक 12.11.2016 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें याचिकाकर्ता को उपायुक्त, कैथल के पीठ से स्थानांतरित कर दिया गया था।याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस मूल आवेदन को कैट द्वारा 28.05.2018 पर खारिज कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप इस आदेश को 2018 का सीडब्ल्यूपी No.16460 में चुनौती दी गई थी, जिसका शीर्षक रवि प्रकाश गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य है। यहां तक कि रिट याचिका विचाराधीन रहने के दौरान, 22.10.2018 दिनांकित एक और स्थानांतरण आदेश पारित किया गया था।इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ दिनांक 05.12.2018 के आदेश के माध्यम से, कैट द्वारा पारित दिनांक 28.05.2018 के आदेश को दरकिनार करके और सभी स्थानांतरण आदेशों को दरकिनार करके उक्त रिट याचिका को अनुमति दी, जो प्रतिवादी द्वारा पारित किए गए हैं, अर्थात 07.11.2016,03.01.2017,22.08.2017 के साथ-साथ दिनांकित 22.10.2018 का आदेश भी, जो रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान पारित किया गया था।हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा से हरियाणा राज्य को निर्देश भी जारी किया गया था कि वह याचिकाकर्ता को आदेश की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से क्षेत्र में तैनात करने के मामले पर विचार करे।(7) हरियाणा राज्य द्वारा 2019 की विशेष अपील अनुमति (सी) No.5463 को सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा दिनांकित 06.08.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, हालांकि, हरियाणा राज्य को नियमों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के लिए चार महीने का समय दिया गया था।उक्त आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता को दिनांक 28.12.2019 के आदेश के अनुसार फतेहाबाद के उपायुक्त के रूप में तैनात किया गया था।

(8) फतेहाबाद के उपायुक्त के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लगभग 2 महीनों के बाद, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा उन्हें स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए एक स्थानांतरण आदेश पारित किया गया था।इस आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा ओ. ए. No.060/00302 2020 दाखिल करके इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि स्थानांतरण का उक्त विवादित आदेश इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा 05.12.2018 पर पारित आदेश का उल्लंघन था, जिसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, साथ ही इस आधार पर भी कि उक्त स्थानांतरण आदेश टी. एस. आर. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है।

**सुब्रमण्यम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य,**

जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक अधिकारी को संवर्ग पद का स्थानांतरण नियुक्ति की उक्त तिथि के दो वर्ष से पहले नहीं किया जाना चाहिए।उक्त स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि यह भेदभावपूर्ण है और समय-समय पर संशोधित 1954 कैडर नियमों, विशेष रूप से आई. ए. एस. (कैडर) संशोधन नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित नियम 7 (3) का उल्लंघन है, जिसे 2016 की अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है।उक्त ओए को 03.06.2020 पर खारिज कर दिया गया था।

(9) याचिकाकर्ता के उक्त ओ. ए. को खारिज करने के बाद वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है जिसमें कैट द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को चुनौती दी गई है।

(10) याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, ने उन तथ्यों को दोहराया है जो ऊपर वर्णित किए गए हैं और इस न्यायालय द्वारा 2018 के सी. डब्ल्यू. पी. 05.12.2018 (अनुलग्नक ए-2) में पारित पहले के आदेश के आधार पर जोर देकर कहा है कि जिन कारणों से पहले के स्थानांतरण आदेश दिनांकित 07.11.2016 और बाद के सभी स्थानांतरण आदेशों को दरकिनार कर दिया गया था, वे संवर्ग नियम 7 (3) का गैर-

अनुपालन था, जो अनिवार्य करता है कि किसी भी संवर्ग पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी को कम से कम दो साल के लिए पद धारण करना चाहिए, जब तक कि इस बीच उसे पदोन्नत नहीं किया गया हो, सेवानिवृत्त नहीं किया गया हो या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया हो या दो महीने से अधिक का प्रशिक्षण न दिया गया हो। न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि से पहले ऐसे संवर्ग अधिकारी के स्थानांतरण के लिए, नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश अनिवार्य थी, जहां ऐसी सिफारिश के लिए कारण निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होती है।सिविल सेवा बोर्ड का गठन 28.01.2014 पर किया गया था और 07.11.2016 पर आयोजित एक बैठक में याचिकाकर्ता के स्थानांतरण की सिफारिश की गई थी, हालांकि, ऐसी सिफारिश के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था।इसलिए, इस न्यायालय की खण्ड पीठ दिनांक 05.12.2018 के आदेश के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि स्थानांतरण की ऐसी सिफारिश करने के लिए किसी भी कारण की अनुपस्थिति में, संवर्ग नियमों का उल्लंघन किया गया था, उक्त कार्रवाई कायम नहीं रह सकी जिसके कारण दिनांक 07.11.2016 के उक्त स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया गया और साथ ही हस्तांतरण के बाद के आदेश भी पारित किए गए।

(11) उन्होंने आगे दावा किया कि उक्त आदेश को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 06.08.2019 (अनुलग्नक ए-3) के आदेश के माध्यम से बरकरार रखा गया है, जिसके तहत इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को नियमों के अनुसार सख्ती से क्षेत्र में तैनात करने के लिए जारी निर्देश को दोहराया

गया था, उनका फिर से उल्लंघन किया गया है क्योंकि फतेहाबाद के उपायुक्त के रूप में नियुक्ति के साढ़े छह महीने बाद ही उन्हें उक्त पद से स्थानांतरित कर दिया गया है, दिनांक 18.05.2020 (अनुलग्नक ए-5) के आदेश के अनुसार, जो 390 के नियम 7 (3) के तहत प्रदान की गई दो साल की अनिवार्य अवधि से बहुत कम है। लागू होने वाले संवर्ग नियम। दिनांकित 18.05.2020 का विवादित आदेश याचिकाकर्ता के दो साल की अवधि पूरी होने से पहले स्थानांतरण करने का कोई कारण नहीं बताता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी. एस. आर. सुब्रमण्यम के मामले (उपरोक्त) में भी प्रदान किया गया है और अनिवार्य किया गया है। स्थानांतरण का आदेश टी. एस. आर. सुब्रमण्यम के मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के नियमों, अधिसूचना और अनुपात के साथ-साथ इस न्यायालय की खण्ड पीठ के दिनांकित निर्णय का भी पूरी तरह से उल्लंघन है।

(12) यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक जिले में बहुत सारे सहायक कर्मचारी हैं और प्रत्येक विभाग का अपना बुनियादी ढांचा और जिला स्तर का अधिकारी है।जिले में काफी वर्षों तक काम करने के बाद ही कोई व्यक्ति मुख्य कार्यालय में तैनात होने पर चुनौती को आगे बढ़ाने और उसका सामना करने और उसे हल करने के वास्तविक अवसरों की कल्पना कर सकता है।इसलिए, एक आई. ए. एस. अधिकारी के लिए अपने

कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से निभाने के लिए आवश्यक क्षेत्र का अनुभव आवश्यक है।याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता का समय से पहले स्थानांतरण कर दिया गया है, इसलिए वह किसी विशेष पद पर पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने में विफल रहा है, जो न तो सार्वजनिक हित में होगा और न ही प्रशासन की बेहतरी के लिए होगा क्योंकि याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष अनुभव के लाभ से वंचित रहा है। वैधानिक संवर्ग नियमों के अधिदेश को पूरा नहीं किया गया है क्योंकि सिविल सेवा बोर्ड द्वारा नियमों के तहत निर्धारित दो साल के कार्यकाल को समय से पहले कम करने के लिए कोई कम उचित कारण नहीं दिया गया है।अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण, वैधानिक संवर्ग नियमों का उल्लंघन करने वाला विवादित स्थानांतरण आदेश कायम नहीं रह सकता है।वह दावा करते हैं कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) दिनांक 03.06.2020 के आदेश के माध्यम से इन पहलुओं की सराहना करने में विफल रहा है और दिनांक 18.05.2020 के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता द्वारा पसंद किए गए मूल आवेदन को गलत तरीके से खारिज करने के लिए आगे बढ़ा है।

(13) इन दावों के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने हमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014 द्वारा से लिया है, जिसके तहत नियम 7 को अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 के साथ-साथ अधिसूचना दिनांक 13.04.2016 द्वारा से प्रतिस्थापित किया गया है, जो नियम 7 के उप-नियम 5 के प्रावधान के लिए, इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) दूसरा

संशोधन नियम, 2016 कहते हुए प्रतिस्थापित किया गया था।उपरोक्त के आधार पर, याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया जाता है कि कैडर को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण स्थानांतरण का विवादित आदेश कायम नहीं रह सकता है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

(14) दूसरी ओर, हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता ने रवि प्रकाश गुप्ता, आई. ए. एस. बनाम भारत का संघ अन्य संघ का गठन किया है। प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण एक अलग नहीं था, बल्कि याचिकाकर्ता के अलावा तीन अन्य उपायुक्तों यानी पानीपत, सोनीपत और चरखी दादरी के उपायुक्त का स्थानांतरण किया गया था, जिन्हें तब फतेहाबाद के उपायुक्त के रूप में तैनात किया गया था।उनका कहना है कि यह अभ्यास एक असामान्य और अप्रत्याशित स्थिति के कारण किया गया था, जिसने न केवल हमारे देश को बल्कि पूरी दुनिया को कोविड-19 महामारी के कारण घेर लिया है।कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दिनांक 24.03.2020 के आदेश के माध्यम से शुरू में देश में 21 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया था, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया और 31 मई, 2020 तक जारी रखा गया, जिसके बाद चरणों में अनलॉकिंग चल रही है। सभी राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करके हर संभव प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया गया था ताकि हर कोई घर पर रहे।सबसे

बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी और शीर्ष पर तैनात अधिकारियों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हर संभव उपाय करने की आवश्यकता थी।इसलिए यह जिम्मेदारी संबंधित उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों के कंधों पर आई कि वे सरकार द्वारा नियुक्त जिला प्रभारी के साथ समन्वय में अपने-अपने जिलों में दिशानिर्देशों/निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।खाद्य खरीद की निगरानी, श्रमिकों की आवाजाही पर नियंत्रण, विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों के साथ-साथ राज्य सरकार, कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय, भारत सरकार आदि के साथ दैनिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त कर्तव्य उपायुक्तों को सौंपे गए थे।वरिष्ठ आई. ए. एस./आई. पी. एस./आई. एफ. एस. अधिकारियों को कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन की योजना/समन्वय और निगरानी के लिए सभी जिलों में जिला प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था।

(15) यह घटनाओं की इस श्रृंखला में है और अभूतपूर्व और अचानक बदली हुई परिस्थितियों के कारण, आई. ए. एस. अधिकारियों की नियुक्ति/स्थानांतरण के संबंध में कार्मिक विभाग में कोविड-19 के प्रसार के कारण महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई और यह देखा गया कि चूंकि जिलों में उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को विभिन्न मुद्दों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए कुछ उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को उनके जिलों से स्थानांतरित करने की

आवश्यकता थी क्योंकि इन अधिकारियों ने अभी तक उपायुक्त के कैडर पद पर दो साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल था, जो फतेहाबाद के उपायुक्त के रूप में तैनात था, मामले को 18.05.2020 पर सिविल सेवा बोर्ड के समक्ष रखा गया था।सिविल सेवा बोर्ड ने प्रशासनिक आधार पर और जनहित में चार जिलों यानी पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद और चरखी दादरी के उपायुक्तों के स्थानांतरण की सिफारिश की।तदनुसार, याचिकाकर्ता को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.05.2020 (अनुलग्नक ए-5) के आदेश के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया था।

(16) विद्वान महाधिवक्ता ने जोर देकर कहा है कि 2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.16460 में इस न्यायालय द्वारा पारित 05.12.2018 दिनांकित आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 06.08.2019 दिनांकित आदेश का विधिवत पालन किया गया जब याचिकाकर्ता को 28.12.2019 पर फतेहाबाद के उपायुक्त के रूप में तैनात किया गया था।पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 06.08.2019 पारित आदेश के संदर्भ में उनका निवेदन है कि हालांकि विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन हरियाणा राज्य को नियमों के अनुसार इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश का पालन करने के लिए चार महीने का समय दिया गया था।उनका कहना है कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण का आदेश याचिकाकर्ता की सेवा को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों के अनुसार

है, विशेष रूप से याचिकाकर्ता के समय से पहले स्थानांतरण के संबंध में क्योंकि उक्त वैधानिक नियमों का विधिवत पालन किया गया है।

(17) उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की प्राथमिक शिकायत, जब उन्होंने दिनांक 07.11.2016 के स्थानांतरण के प्रारंभिक आदेश को चुनौती दी थी, यह थी कि उनके करियर में प्रगति बाधित हो रही है और फील्ड पोस्टिंग के अनुभव के पूरा न होने के कारण करियर की संभावनाएं सीमित हो रही हैं, जिससे याचिकाकर्ता को उप सचिव और अवर सचिव के स्तर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विचार करने से इनकार कर दिया गया है।उन्होंने दिनांक 10.11.2014 (संलग्नक आर-2/2) द्वारा से जारी भारत सरकार के शासी निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा है कि निर्देशों के संलग्नक में सूचीबद्ध पदों में तीन साल और दो साल का संयुक्त क्षेत्र अनुभव, जो कि फील्ड पोस्टिंग है, एक आई. ए. एस. अधिकारी को क्रमशः उप सचिव और अवर सचिव के स्तर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विचार करने के योग्य बनाता है।प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर उत्तर में प्रारंभिक प्रस्तुतियों के पैरा 11 का उल्लेख करते हुए, यह दावा किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पास अब 36 महीने और 11 दिनों का कुल फील्ड पोस्टिंग अनुभव है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने उप सचिव के स्तर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवश्यक तीन साल का क्षेत्र अनुभव पूरा कर लिया है।इसलिए, याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत कायम नहीं रहती है।

(18) विद्वान महाधिवक्ता ने आगे कहा है कि स्थानांतरण सेवा की एक घटना है और यह विवाद में नहीं है कि जिस सेवा में याचिकाकर्ता लगा हुआ है वह हस्तांतरणीय है।स्थानांतरण आदेशों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप वे हैं जहां उक्त आदेश दुर्भावनापूर्ण तरीके से दूषित किया जाता है या बाहरी या अप्रासंगिक विचार पर पारित किया जाता है, जहां उक्त आदेश बिना किसी कानून के अधिकार के पारित किया गया है।किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है और न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जहां प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और राज्य प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरण किया गया है।उपरोक्त आधार पर वह इस बात पर जोर देते हैं कि ऊपर उल्लिखित किसी भी आधार की अनुपस्थिति में में, इस न्यायालय द्वारा स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप, जो प्रशासनिक अनिवार्यताओं और सार्वजनिक हित में है, की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दृढ़ता से कहा है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किसी हानि के कारण नहीं किया गया है, बल्कि विचित्र परिस्थितियों के कारण किया गया है, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में हुई थी और नियंत्रण से बाहर थी। इस प्रकार रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

(19) विद्वान महाधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.12.2020 के आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें इस न्यायालय की

एक समन्वय पीठ ने श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा को नोटिस जारी किया था। हरियाणा सरकार की तत्कालीन मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, जो दिनांक 18.05.2020 (अनुलग्नक ए-5) के स्थानांतरण आदेश की लेखिका थीं, ने यह स्पष्टीकरण मांगा कि उनके खिलाफ 2018 के सी. डब्ल्यू. पी. 16460 में इस अदालत की एक खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की गई, जिसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.02019 ने याचिकाकर्ता को उपायुक्त, फतेहाबाद के पीठ पर बने रहने की अनुमति नहीं देने के उक्त आदेश को बरकरार रखा, जहां उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 2 वर्ष की न्यूनतम सुनिश्चित अवधि के लिए पीठ पर बने रहने की अनुमति नहीं दी गई थी। टी. एस. आर. सुब्रमण्यम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी भी स्थान पर आई. ए. एस. अधिकारियों की नियुक्ति को दो साल की अवधि के लिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए।हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के साथ, दिनांक 18.05.2020 के आदेश के माध्यम से, यह अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अवज्ञा करके शीर्ष अदालत के आदेश तक पहुंचने का एक जानबूझकर प्रयास होगा।

2014 (1) एस. सी. सी. 255

(20) दिनांकित 04.01.2021 शपथ पत्र का उल्लेख करते हुए, जो श्रीमती द्वारा दायर किया गया है। केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्य सचिव, सरकार

हरियाणा (सेवानिवृत्त) ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश को पारित करने की परिस्थितियों को समझाते हुए उक्त आदेश के अनुपालन में, श्री महाजन ने सेवा को नियंत्रित करने वाले संवर्ग नियमों का उल्लेख किया है और कहा है कि आदेश को उक्त वैधानिक नियमों के अनुपालन में सख्ती से पारित किया गया है।एक आई. ए. एस. संवर्ग अधिकारी का सामान्य कार्यकाल एक पद पर दो साल का होता है, लेकिन समय से पहले ऐसी पोस्टिंग/स्थानांतरण पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और उक्त प्रक्रिया के लिए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश की आवश्यकता होती है, जिसे विधिवत पूरा किया गया है।वैधानिक नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होने और याचिकाकर्ता का स्थानांतरण उसी के अनुरूप होने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पूरी तरह से पालन किया गया क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 06.08.2019 के आदेश में विशेष रूप से कहा था कि नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा उल्लेख किया गया था।नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होने के कारण, प्रार्थना नोटिस को वापस लेने और प्रतिवादी के निर्वहन के लिए है।

(21) हमने पार्टियों के वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और उनकी सहायता से, दलीलों, वैधानिक नियमों और उपलब्ध कराए गए अभिलेखों का अध्ययन किया है।

(22) इस न्यायालय के समक्ष चुनौती कैट द्वारा पारित दिनांक 03.06.2020 के आदेश को दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन जिसमें उपायुक्त, फतेहाबाद के पद से स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के निदेशक को दिनांक आई. डी. 1 के हस्तांतरण के आदेश का आरोप लगाया गया है, खारिज हो जाता है। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष चुनौती उस दिनांकित आदेश को भी है, जिसमें याचिकाकर्ता को फतेहाबाद के उपायुक्त के रूप में दो साल पूरे होने से पहले स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा संवर्ग नियमों के नियम 7 (3) और (5) का उल्लंघन बताया गया है।

(23) आगे बढ़ने से पहले, यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि याचिकाकर्ता, जो आई. ए. एस. संवर्ग से संबंधित है, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 (अनुलग्नक ए-7) द्वारा शासित है।नियम 7 नियुक्ति से संबंधित है।उक्त नियम 7 को केंद्र सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा दिनांकित 28.01.2014 अधिसूचना जारी करके संशोधित किया गया था, जिसे नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014 कहा जाता था।

(24) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि नियम 7 के उप-नियम 3 के अनुसार, एक संवर्ग पद पर नियुक्त एक संवर्ग अधिकारी को सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल तक पद पर बने रहने की आवश्यकता थी, जब तक कि इस बीच उसे पदोन्नत किया गया, सेवानिवृत्त किया गया या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया या प्रशिक्षण की अवधि दो महीने से अधिक हो गई। नियम 7 के उप-नियम 5 के अनुसार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि से पहले एक संवर्ग अधिकारी का स्थानांतरण कर सकती है, बशर्ते नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सिविल सेवा बोर्ड द्वारा एक सिफारिश की जाए।परंतुक के अनुसार सिविल सेवा बोर्ड की ये सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं थीं, जो इसके लिए कारण दर्ज करके इसे अस्वीकार कर सकते थे।क्रम संख्या 1 में नियम 7 की अनुसूची ने सिविल सेवा बोर्ड की संरचना दी।सीनियर नंबर 2 ने सिविल सेवा बोर्ड के कार्यों को संभाला।कैडर अधिकारियों की सभी नियुक्तियों के लिए सिफारिश करना अनिवार्य था।उन अधिकारियों के मामलों की जांच करना आवश्यक था, जिन्हें नियम 7 के उप-नियम 3 और उप-नियम 4 के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि पूरी होने से पहले स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है और उसके बाद लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करने से पहले ऐसी परिस्थितियों के आधार पर स्थानांतरण पर

विचार करना आवश्यक था जो वह उचित समझता है।क्र. सं. 3 ने प्रक्रिया के लिए प्रावधान किया।इसके अनुसार, सिविल सेवा बोर्ड को निर्दिष्ट कार्यकाल से पहले एक अधिकारी के स्थानांतरण के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी। उपखंड (बी) के अनुसार, सिविल सेवा बोर्ड को न केवल किसी अन्य इनपुट के साथ प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर विचार करने की आवश्यकता थी, जो उसे अन्य विश्वसनीय स्रोतों से मिल सकती है, बल्कि प्रस्ताव के औचित्य में उसके सामने प्रस्तुत परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तावित अधिकारियों की टिप्पणियों या विचारों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी।इस तरह के विचार पर, यदि सिविल सेवा बोर्ड ने इस तरह के समय से पहले स्थानांतरण के कारणों के बारे में खुद को संतुष्ट किया है, तो यह एक संवर्ग अधिकारी के इस तरह के स्थानांतरण के लिए सिफारिश करना था।खंड 3 के परंतुक के अनुसार सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को अस्वीकार कर सकता है।

(25) उक्त संशोधित नियम इस प्रकार हैः- “1.(1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014 कहा जा सकता है।

(1) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954-,

(क) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "7. पोस्टिंग।-(1) कैडर अधिकारियों की सभी नियुक्तियां सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश पर की जाएंगी जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट संवर्ग पदों पर सभी नियुक्तियां की जाएंगी -

(क) राज्य संवर्ग के मामले में राज्य सरकार द्वारा; और

(ख) संबंधित राज्य सरकार द्वारा संयुक्त संवर्ग के मामले में;

(3) किसी भी संवर्ग पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी कम से कम दो साल के लिए पद धारण करेगा जब तक कि इस बीच उसे पदोन्नत, सेवानिवृत्त या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया हो या दो महीने से अधिक का प्रशिक्षण न दिया गया हो।

(4) किसी भी पूर्व संवर्ग पद पर नियुक्त कैडर अधिकारी उस पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि इस बीच उसे पदोन्नत, सेवानिवृत्त या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया हो या दो महीने से अधिक का प्रशिक्षण न दिया गया हो।

(5) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश पर न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि से पहले एक संवर्ग अधिकारी का स्थानांतरण कर सकती है जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को उसके कारणों को दर्ज करके अस्वीकार कर सकता है।

(ख) 7 ए। प्रमुख प्रभाव-ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू किसी भी अन्य अधिसूचना में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद प्रभावी होंगे।"

(ग) अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची

[नियम 7 (1) और (5) देखें]

1. सिविल सेवा बोर्ड की संरचनाः

प्रत्येक राज्य सरकार एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन करेगी जिसमें -

((i) मुख्य सचिव

((ii) सबसे वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव या अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्तीय आयुक्त या समकक्ष रैंक और दर्जे का अधिकारी सदस्य(iii) प्रधान सचिव या सचिव, राज्य सरकार में कार्मिक विभाग सदस्य सचिव 2.कार्य.- (क) सिविल सेवा बोर्ड संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियों के लिए सिफारिश करेगा।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड उन अधिकारियों के मामलों की जांच करेगा जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 के उप-नियम (3) और (4) के तहत निर्दिष्ट सेवा की न्यूनतम अवधि पूरी होने से पहले स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 के उप-नियम (3) और (4) के तहत निर्धारित कार्यकाल से पहले ऐसी परिस्थितियों के आधार पर स्थानांतरण के लिए विचार कर सकता है जो वह उचित समझता है।

(घ) सिविल सेवा बोर्ड लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरण के लिए अधिकारियों के नामों की सिफारिश कर सकता है।

3. प्रक्रिया।- (क) सिविल सेवा बोर्ड निर्दिष्ट कार्यकाल से पहले एक अधिकारी के स्थानांतरण के लिए संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य मांगेगा।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड -

(i) प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किसी भी अन्य जानकारी पर विचार करें।

(ii) प्रस्ताव के औचित्य में प्रस्तुत परिस्थितियों के आधार पर स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिकारी की टिप्पणियां या विचार प्राप्त करें;

(iii) संवर्ग अधिकारियों के समय से पहले स्थानांतरण के लिए तब तक सिफारिश न करें जब तक कि वह इस तरह के समय से पहले स्थानांतरण के कारण के बारे में संतुष्ट न हो जाए।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड केंद्र सरकार को ऐसे प्रपत्र में एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो वह उचित समझे, जिसमें न्यूनतम निर्दिष्ट कार्यकाल से पहले स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश किए गए अधिकारियों का विवरण और उसके कारण स्पष्ट रूप से बताए जाएँगेः

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को अस्वीकार कर सकता है।"

(26) इसके बाद अधिसूचना दिनांक 13.04.2016 के माध्यम से नियम 7 में और संशोधन किया गया, जो इस प्रकार हैः- "1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) दूसरा संशोधन नियम, 2016 कहा जा सकता है।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

ए। भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमों में, 1954,-

i. नियम 7 के उप-नियम (5) में, परंतुक के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

"बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके उसमें संशोधन, संशोधन या अस्वीकार कर सकता है।"

(i). अनुसूची में क्रम संख्या 3 के लिए निम्नलिखित

प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

बी प्रक्रिया- (1) (क) सिविल सेवा बोर्ड निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी अधिकारी के स्थानांतरण पर विचार करते समय संबंधित राज्य के प्रशासनिक विभाग या किसी अन्य प्रासंगिक स्रोत से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड अनुसूची के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में सिविल सेवा बोर्ड की बैठकों की तारीख के बारे में 1 जनवरी को केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इसे संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक रूप से अपलोड करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश।" रवि प्रकाश गुप्ता, आई. ए. एस. बनाम भारत का संघ और अन्य में संशोधन, संशोधन या अस्वीकार कर सकता है।

(27) उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से, 1954 संवर्ग नियमों के नियम 7 के उप-नियम 5 के प्रावधान को प्रतिस्थापित किया गया था।अब प्रतिस्थापित परंतुक के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी न केवल लिखित रूप में कारण दर्ज करके सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को अस्वीकार कर सकता है, बल्कि ऐसी सिफारिशों में संशोधन या संशोधन भी कर सकता है।

(28) अनुसूची में, क्रम संख्या 3, जो प्रक्रिया से संबंधित है, को भी प्रतिस्थापित किया गया था।इस प्रतिस्थापन के अनुसार, सिविल सेवा बोर्ड निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी आई. ए. एस. अधिकारी के स्थानांतरण पर विचार करते समय संबंधित राज्य के प्रशासनिक विभाग या किसी अन्य प्रासंगिक स्रोत से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

(29) यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि असंशोधित क्रम वरिष्ठ संख्या 3 के अनुसार, सिविल सेवा बोर्ड को संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य प्राप्त करने का आदेश दिया गया था, जबकि अब ऊपर लाए गए संशोधन के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक विभाग से जानकारी प्राप्त करने का विवेकाधिकार सिविल सेवा बोर्ड पर छोड़ दिया गया था और निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने से पहले एक अधिकारी के स्थानांतरण पर विचार करते समय इसे किसी अन्य प्रासंगिक स्रोतों तक बढ़ा दिया गया था।खंड (ख), जो मूल रूप से क्र. सं. 3 पर था, सिविल सेवा बोर्ड को स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिकारी की टिप्पणियां या विचार प्राप्त करने की आवश्यकता थी, को हटा दिया गया है क्योंकि इसका उल्लेख क्र. सं. 3 में दिनांकित अधिसूचना 13.04.2016 के अनुसार नहीं मिलता है।इस क्रम संख्या 3 का प्रावधान अब सक्षम प्राधिकारी को न केवल लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है, बल्कि इसमें संशोधन और संशोधन करने की भी शक्ति प्रदान करता है।यह वैधानिक स्थिति है क्योंकि यह 18.05.2020 पर मौजूद थी, याचिकाकर्ता के उपायुक्त, फतेहाबाद के पद से स्थानांतरण की तारीख, उक्त पर उपरोक्त के आलोक में विचार करने की आवश्यकता है।

(30) प्रस्तुत अभिलेखों और अभिवचनों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामले में एक आई. ए. एस. अधिकारी की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों के अनुपालन या अन्यथा से संबंधित मुद्दा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 का नियम 7 होगा,

जो नियुक्ति से संबंधित है।हस्तांतरण के वर्तमान मुद्दे पर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक नियम नियम 7 (3), (5) और नियम 7 की अनुसूची

जैसा कि 28.01.2014 पर अधिसूचित किया गया है और उसके बाद अधिसूचना दिनांक 13.04.2016 होगी।

(31) जहाँ तक नियम 7 का उप नियम 3 है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। संबंधित, जिसके अनुसार जब एक संवर्ग अधिकारी को संवर्ग पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वह उसमें उल्लिखित आकस्मिकताओं को छोड़कर कम से कम दो साल के लिए पद धारण करेगा, जो वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं हुआ था।उप-नियम 5 केंद्र और राज्य सरकार को, जैसा भी मामला हो, नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश पर, उप-नियम 3 में प्रदान की गई न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि यानी दो साल पूरी होने से पहले एक संवर्ग अधिकारी का स्थानांतरण करने का अधिकार देता है।सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं हैं जैसा कि उसके परंतुक से स्पष्ट है क्योंकि उक्त प्राधिकारी लिखित रूप में कारणों को दर्ज करके उक्त सिफारिश में संशोधन, संशोधन या अस्वीकार कर सकता है।क्रम संख्या 1 में नियमों की अनुसूची सिविल सेवा बोर्ड की संरचना बताती है।उसी के अवलोकन से पता चलता है कि वे राज्य सरकार के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं।क्रम

संख्या 2 में कार्यों का प्रावधान है और खंड (बी), (सी) और (डी) बोर्ड को उन अधिकारियों के मामलों की जांच करने का आदेश देता है, जिन्हें निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, जिसमें वे परिस्थितियां शामिल होंगी जो वह उचित समझती हैं और उसके बाद, सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ स्थानांतरण के लिए अधिकारियों के नामों की सिफारिश करती हैं।(32) क्रम संख्या 3 प्रक्रिया से संबंधित है और अब लागू प्रक्रिया के अनुसार, सिविल सेवा बोर्ड किसी अधिकारी के निर्दिष्ट कार्यकाल के पूरा होने से पहले उसके स्थानांतरण पर विचार करते समय संबंधित राज्य के प्रशासनिक विभाग या किसी अन्य प्रासंगिक स्रोत से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

(33) यह यहाँ दोहराने की कीमत पर बताया जा सकता है कि अधिसूचना दिनांक 13.04.2016 के बाद अब प्रचलित प्रक्रिया में स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिकारियों की टिप्पणियों या विचारों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।सक्षम प्राधिकारी के लिए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशें फिर से बाध्यकारी नहीं हैं और सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में कारणों को दर्ज करके ऐसी सिफारिशों में संशोधन, संशोधन या अस्वीकार कर सकते हैं।

(34) अधिनियम के तहत यह स्थिति होने के कारण, जब अभिलेखों और अभिवचनों के आलोक में देखा जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण करते समय प्रतिवादियों/राज्य द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया है क्योंकि उक्त नियमों के

अधिदेश का पूरी तरह से पालन किया गया है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को फतेहाबाद के उपायुक्त के रूप में तैनात किया गया था,

सक्षम प्राधिकारी यानी हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा पारित आदेश के अनुसार, माननीय संघ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नियम 7 (3) के अनुसार, याचिकाकर्ता जो एक संवर्ग अधिकारी है और संवर्ग पद पर तैनात था, उसे कम से कम दो साल तक पद पर रहना चाहिए था क्योंकि उप-नियम 3 में उल्लिखित आकस्मिकताओं और परिस्थितियों में से कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन उप-नियम 5 के अनुसार, राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि से पहले स्थानांतरित करने का अधिकार दिया गया था, बशर्ते कि सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट के रूप में प्राप्त हुई हो।

(35) जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर में विस्तृत रूप से बताया गया है, कोविड-19 महामारी के कारण एक असामान्य और अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई थी, जहां राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करके यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश के साथ देश को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन पर रखना पड़ा कि आबादी में उक्त वायरस का प्रसार न हो।असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई

थी, जिसके कारण हरियाणा राज्य ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों/निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए, दिनांक 24.03.2020 के आदेश और बाद के संचार के माध्यम से।वरिष्ठ आई. ए. एस./आई. पी. एस./आई. एफ. सी. अधिकारियों को कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन की योजना, समन्वय और निगरानी के लिए जिला प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था।बड़ी जिम्मेदारी सभी अधिकारियों पर आती थी, विशेष रूप से उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट जिला प्रमुख होते थे।राज्य सरकार के साथ-साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्ट करने के अलावा भोजन की खरीद, श्रमिकों की आवाजाही पर नियंत्रण और विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों की निगरानी के लिए उपायुक्तों को अतिरिक्त कर्तव्य भी सौंपे गए थे।इस स्थिति के आलोक में कार्मिक विभाग में आई. ए. एस. की नियुक्ति/स्थानांतरण पर भी चर्चा की गई, जिसमें कुछ उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों के स्थानांतरण की आवश्यकता पर विचार किया जाना था, जिन्होंने उपायुक्त के कैडर पद पर दो साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल था, जिसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तैनात किया गया था। तदनुसार, नियम 7 (5) के तहत अनिवार्य रूप से, इस मामले को सिविल सेवा बोर्ड के समक्ष 18.05.2020 पर रखा गया था।इसी पर विचार करते हुए सिविल सेवा बोर्ड ने प्रशासनिक आधार पर और जनहित में चार जिलों यानी पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद और चरखी दादरी के उपायुक्तों के स्थानांतरण की सिफारिश की। इसके बाद  पर दो साल का कार्यकाल पूरा

करने से पहले याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य उपायुक्तों का समय से पहले तबादला कर दिया गया।

उपायुक्त का संवर्ग पद न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले चार अधिकारियों के स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए सिविल सेवा बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में कारणों को दर्ज किया गया है।इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता और अन्य तीन उपायुक्तों का स्थानांतरण किया है।इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि विवादित आदेश पारित करते समय वैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ है।

(36) याचिकाकर्ता का यह तर्क कि 18.05.2020 का स्थानांतरण आदेश इस न्यायालय द्वारा 05.12.2018 पर पारित आदेश का उल्लंघन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 06.08.2019 का आदेश भी इस तथ्य के आलोक में स्थायी नहीं है कि इस माननीय न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था ताकि उन्हें कानून/नियमों के अनुसार सख्ती से क्षेत्र में फिर से पोस्ट किया जा सके।यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रतिवादी द्वारा पालन नहीं किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता को दिनांक 28.12.2019 के आदेश के अनुसार फतेहाबाद के उपायुक्त के रूप में तैनात किया गया था।इस प्रकार, इस न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का विधिवत पालन किया गया।

(37) याचिकाकर्ता का आगे दावा यह है कि नियम 7 (3) के तहत प्रदान किए गए दो साल के न्यूनतम कार्यकाल के पूरा होने से पहले, उनका स्थानांतरण कर दिया गया है, जो टी. एस. आर. सुब्रमण्यम के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश के खिलाफ जाता है, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि उक्त आदेश को केंद्र सरकार द्वारा 1954 के कैडर नियमों में संशोधन करके प्रभावी कर दिया गया है, जिसे बाद में अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसे बाद में अधिसूचना दिनांक 13.04.2016 के माध्यम से संशोधित किया गया है, जो याचिकाकर्ता के हस्तांतरण के समय क्षेत्र को नियंत्रित करता था, यानी 18.05.2020 पर, जो उनके द्वारा विवादित है।याचिकाकर्ता का स्थानांतरण हमारे द्वारा ऊपर रखे गए वैधानिक नियमों के अनुसार होने के कारण, हमारा विचार है कि यह इस न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन नहीं करता है, जिसने याचिकाकर्ता को नियमों के अनुसार सख्ती से तैनात करने का निर्देश दिया था।

(38) एक अन्य याचिका जो याचिकाकर्ता द्वारा ली गई है और प्रारंभिक चरण में प्राथमिक शिकायत थी, जब उन्होंने उपायुक्त, कैथल के पद से निदेशक, खाद्य और आपूर्ति, हरियाणा के पद पर स्थानांतरण के आदेश को

चुनौती देते हुए कैट से संपर्क किया था, यह था कि उनका क्षेत्र अनुभव तीन साल से पूरा नहीं हुआ है, जो उप सचिव के स्तर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विचार करने के लिए अनिवार्य है और जिससे उनके

करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम भुगतने होंगे।

(39) प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए उत्तर के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट पद पर आवश्यक तीन साल का क्षेत्र अनुभव पूरा कर लिया है, जो उसे उप सचिव के स्तर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विचार करने के योग्य बनाएगा।इस संबंध में विवरण प्रतिवादी संख्या 2 के उत्तर की प्रारंभिक प्रस्तुतियों के पैरा 11 में दिया गया है।पैरा का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः- "याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ संवर्ग से हरियाणा संवर्ग में अपने अंतर-संवर्ग स्थानांतरण पर 29.10.2015 पर हरियाणा संवर्ग में शामिल हुए आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ और हरियाणा संवर्ग में निम्नानुसार फील्ड पोस्टिंग पर रहेः-

छत्तीसगढ़ संवर्ग में

| क्रम सं0 | के रूप में पोस्ट किया गया | अवधि | क्षेत्र का अनुभव |
|---|---|---|---|
| 1 | उप-मंडल अधिकारी | 07.09.2012 -31.03.2013 | 06 महीने-30 दिन |
| 2 | अतिरिक्त कलेक्टर | 01.04.2013 – 1.03.2014 | 12 महीने |
| 3 | अतिरिक्त कलेक्टर/सी ई. ओ., | 01.04.2014 – 4.10.2014 | 06 महीने-04 दिन |
| | हरियाणा संवर्ग में | | |
| 1 | डी. सी. कैथल | 26.04.2016-15.11.2016 | 06 महीने-20 दिन |
| 2 | डी. सी., फतेहाबाद | 28.12.2019 -1.05.2020 | 4 महीने-24 दिन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कुल अनुभव | | 36 महीने-11 दिन |

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने उप सचिव के स्तर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवश्यक 3 साल का क्षेत्र अनुभव पूरा कर लिया है।"

इसलिए याचिकाकर्ता की उक्त शिकायत अब मौजूद नहीं है।

(40) उपरोक्त के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता है कि हरियाणा राज्य द्वारा पारित स्थानांतरण का विवादित आदेश या तो दुर्भावनापूर्ण है या भेदभावपूर्ण है या सेवा को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन है।यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि स्थानांतरण एक सेवा की घटना है और किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपनी पसंद के स्थान पर तैनात रहने का निहित अधिकार नहीं है और न ही कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति के स्थान के संबंध में शर्तें निर्धारित कर सकता है।उक्त शक्ति नियोक्ता में निहित है, जिसे लोक हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार उक्त शक्तियों का प्रयोग करना है, जब तक कि इसमें कैरियर या आगे की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(41) वर्तमान मामले में स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग करेगा, विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत।(42) उपरोक्त के आलोक में और श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा के दिनांकित 04.01.2021 के शपथ पत्र को देखने के बाद।, हरियाणा सरकार

की मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त) ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.12.2020 के आदेश के अनुपालन में, हम उसमें दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं और हमारा विचार है कि इस न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उनके द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है।इसलिए उसे जारी किए गए नियम को हटा दिया जाता है।

(43) हम वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसलिए, कैट, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 03.06.2020 के आदेश को बरकरार रखते हुए इसे खारिज करते हैं।

पायल मेहता

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सावित्री